

न्यायालय उपायुक्त, खूंटी

अनुसूची -14 फार्म सं० 562

न्यायालय अपर समाह्वी खूंटी
आदेश पत्रक

अभिलेख हस्तक 1941 नियम -129


दा. खा. रिकौज न. वाद सं० 08R15 वर्ष 2015 धारा 09R15/15

अपीलकर्ता/प्र०प०/आवेदक

प्रतिवादी/द्वि०प०/विपक्षी

देव नारायण जमसवाल को बनाम जंचल अधिकारी मुरहू एवं अन्य

आदेश क्रमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3
16.06.15	<p>प्रस्तुत वाद अर्जित देव नारायण जमसवाल के स्व. राम नारायण जमसवाल (२) जैलेन्द्र जमसवाल के स्व. राम राम सिंह जमसवाल दोनों- साक्षि- सच. बी. रोड संन्वी ग्राम लामपुर जिला- संन्वी ने भूमि सुधार उप-समाह्वी खूंटी के न्यायालय द्वारा वाद दा. खा. अपील नं०-15/14-15 में दिनेश- 09.04.15 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। वाद की अग्रेवर कार्रवाई हेतु अभिलेख अपर समाह्वी खूंटी के न्यायालय में हस्तांतरित करें।</p>	
18.06.15	<p>अभिलेख उपस्थान में अभिलेख उपायुक्त खूंटी के न्यायालय द्वारा हस्तांतरित होकर प्राप्त है।</p>	

आदेश क्रमांक /दिनांक Order No./Date	आदेश एवं अधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की गयी कार्रवाई का दिनांक Action taken on order with date
1	2	3
01-07-20	<p>अभिलेख उपस्थापित। सरकार के सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग फायरवर्ड सरकार रजिस्ट्री के पत्रांक 332/रा० दिनांक 24-6-20 के द्वारा अधिसूचित है कि The Bihari Tenants Holdings (Maintenance of Records) Act 1973 की धारा 16 के अन्तर्गत Revision की सुनवाई करते का अधिकार मात्र Collection को है न कि Additional Collection तथा Deputy Collection को है।</p> <p>अतः उक्त धारा/विभाग के ज्ञापन के अभिलेख की अधीन सुनवाई हेतु उपायुक्त सूची के आश्रय में हस्तोचित करें।</p> <p style="text-align: right;">  अपर सहायक सूची </p> <p>अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख अपर सहायक सूची के आश्रय में हस्तोचित होकर प्राप्त हो अभिलेख पर अधीन कार्रवाई हेतु बाद पंजी में अंकित उक्त हुए पक्षधारों को सूचना निर्गत करें।</p> <p style="text-align: center;"> अभिलेख दिनांक की रजिस्ट्री </p>	